em-592/17 606

591

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND

B 018228

Stamp Paid-
Area-
Anchal- 1500=00
Rent-
Fees Paid- 2=50
Al- 0=94
LL-
P fees- 1503=44

पुनरीक्षित न्यूनतम मूल्य मार्गदर्शिका पंजी में परिवार / मूल्य से निर्धारण किया। न्यूनतम मूल्य से कम नहीं।

अवर निबंधन पदाधिकारी रामगढ़

लेख्यकारीगणः– (1) राजेन्द्र महतो (2) सुरेश महतो (3) रामकुमार महतो तीनो का पिता स्व0 जगनु महतो जाति कोयरी पेशा गृहस्ती साकिन मौजा दिगवार परगना जगेसर थाना माण्डू जिला रामगढ़ (झारखण्ड) भारतीय नागरिक है। विक्रेता सी.एन.टी. एक्ट की धारा 46 (1) बी. की जाति सूची से बाहर है।

1 का आधार न0– 8989 4092 4508

2 का आधार न0– 7901 2384 2025

3 का आधार न0– 5439 1006 1487

लेख्यधारीः– डॉ भुपनारायण दुबे पिता श्री जवाहर लाल दुबे जाति ब्राह्मण पेशा चिकित्सा साकिन मौजा पुरैना गोसांई थाना चनपटिया जिला पश्चिमी चम्पारण (बिहार) हाल मोकाम कुजु परगना जगेसर थाना माण्डू जिला रामगढ़ (झारखण्ड) भारतीय नागरिक है।

आधार न0– 6203 0120 0247

लेख्यप्रकारः– विक्रय-पत्र (Sale Deed) केवाला वैएला कलामी।

विक्रय सम्पत्ति प्रतिबंधित सूची के अंतर्गत नहीं है।

छो० ना० अधि० 1908 की धारा 48 (I) (b) के अंतर्गत विक्रेता नहीं है।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND

B 018229

मूल्य मोवलगः– 50,000/– पचास हजार रूपैया नगद।

नाम मालिकः– झारखण्ड सरकार अंचल माण्डू ।

सालाने मालगुजारीः– 01 पैसा।

जमीन दर्जाः– आवासीय। संरचना रहित।

सम्पतिः– मवाजी 01 डी0 (एक डीसमील) जमीन आवासीय हकियत रैयती कायमी वाके मौजा हथमारा परगना जगेसर थाना माण्डू थाना न0 148 अंदर खाता न0 89 डिस्ट्रक्ट रजिस्ट्री रामगढ जिला रामगढ़ हसब प्लॉट रकवा चौहदी जैल तौजी न0 28 यह के उपरोक्त सम्पति जमीन मन लेख्यकारीगण के छरदादा शिवदयाल महतो के नाम से सर्वे सेट्लमेन्ट में खाता हाजा दर्ज पाया है। बाद वफात छरदादा वो परदादा वो दादा वो पिता के फौत कर जाने के बाद लेख्यकारीगण उपरोक्त सम्पति जमीन पर घरेलू बंटवारा के मुताबिक शांतिपूर्वक कायम काबिज वो दखलकार चले आते है वो है। जिसका रसीद चमन महतो के नाम से बराबर से निर्गत होते आ रहा है। रसीद सं0 JB/41-6803321 जो रजिस्टर II के पेज न0 4 भोलूम न0 I सन् 2011–12 ई0 तक रसीद निर्गत है। वो लेख्यकारीगण आज के तारिख में उपरोक्त सम्पति जमीन लेख्यधारी के साथ बिक्री करते है।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

B 018230

झारखण्ड JHARKHAND

खाता न0:- 89 (नवासी)
प्लॉट न0:- 124 (एक सौ चौबीस) कुल रकवा 42 डी0 मध्ये बिक्री रकवा 01 डी0 (एक डीसमील) जिसका चौहदी उ0- प्रस्तावित रास्ता, द0- उपेन्द्र मिश्रा वो प्रवीण झा, पू0- नीज लेख्यधारी, प0- महेन्द्र महतो वगैरह वाके है। जमा खाता 1 प्लॉट 2 जमा बिक्री रकवा 01 डी0 है।

विवरण:- चूँकि लेख्यकारीगण को इस वक्त बनाने मकान वो जरूरी काम के लिये रुपैया के सख्त जरुरी है, बिना बिक्री किए जमीन का रुपया का दूसरा सामान नजर से देखा नहीं जाता है। इसलिए लेख्यकारी ने अपने उपरोक्त सम्पति तयकर अपना कीमत मो0 50,000/- रुपैया लेख्यधारी से लेकर मवाजी 01 डी0 जमीन आज के तारीख से साथ लेख्यधारी के बेचा वो वैएला कलामी किया, दखलकार गरदाना चाहिए के शैए खरीदगी सम्पति के उपर कामय काबिज दखलकार होकर वो रहकर चाहें जिस साबील से अपना फायदा मुनासिब समझें वैसा किया करें चाहे मकान बनावें, कुंआं खुदावें, बाग बगीचा लगावें या बिक्री करें इसमें लेख्यकारीगण मय उनके वारीशान को आज तारीख से किसी प्रकार का हक हकुक दावी दखल नही रहा और ना आगे चलकर कभी होगा जिस प्रकार का हक हकुक दावी दखल जो था वो आगे चलकर होता सब आज तारीख से लेख्यधारी मय उनके वारीशान को हुआ। उपरोक्त सम्पति वारदेन से पाक वो साफ है अगर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

B 018231

झारखण्ड JHARKHAND

आगे चलकर किसी प्रकार का वारदेन पाया जाएगा तो उसका देनदार लेख्यकारीगण मय उनके वारीशान होवेंगे। अब खरमोहरा बाकी जिम्में लेख्यधारी के पास बाकी नहीं रहा और ना हाजत दिगर रसीद की कब्जुल वसूली रसीद की जरुरत नहीं रही। उपरोक्त सम्पति का कुल रूपैया पहले नगद वसूल पाये इसलिए लेख्यकारी ने अपने खुशी राजी से आज तारीख में एक दूसरे को वासीका हाजा लिख दिया कि समय पर काम आवें।

धारा 6,8,10,11 एवं 38 लागू नही है।

तारीखः 06 माह मई सन् 2017 ई0 मो0 रामगढ।

दस्तावेज लेखक विजय कुमार
सा0 कंचनपूर लेख्यकारी को पढ़कर
सुना दिया वो समझा दिया खुद से
पढ़कर समझकर अपना हस्ताक्षर
बनाए -

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

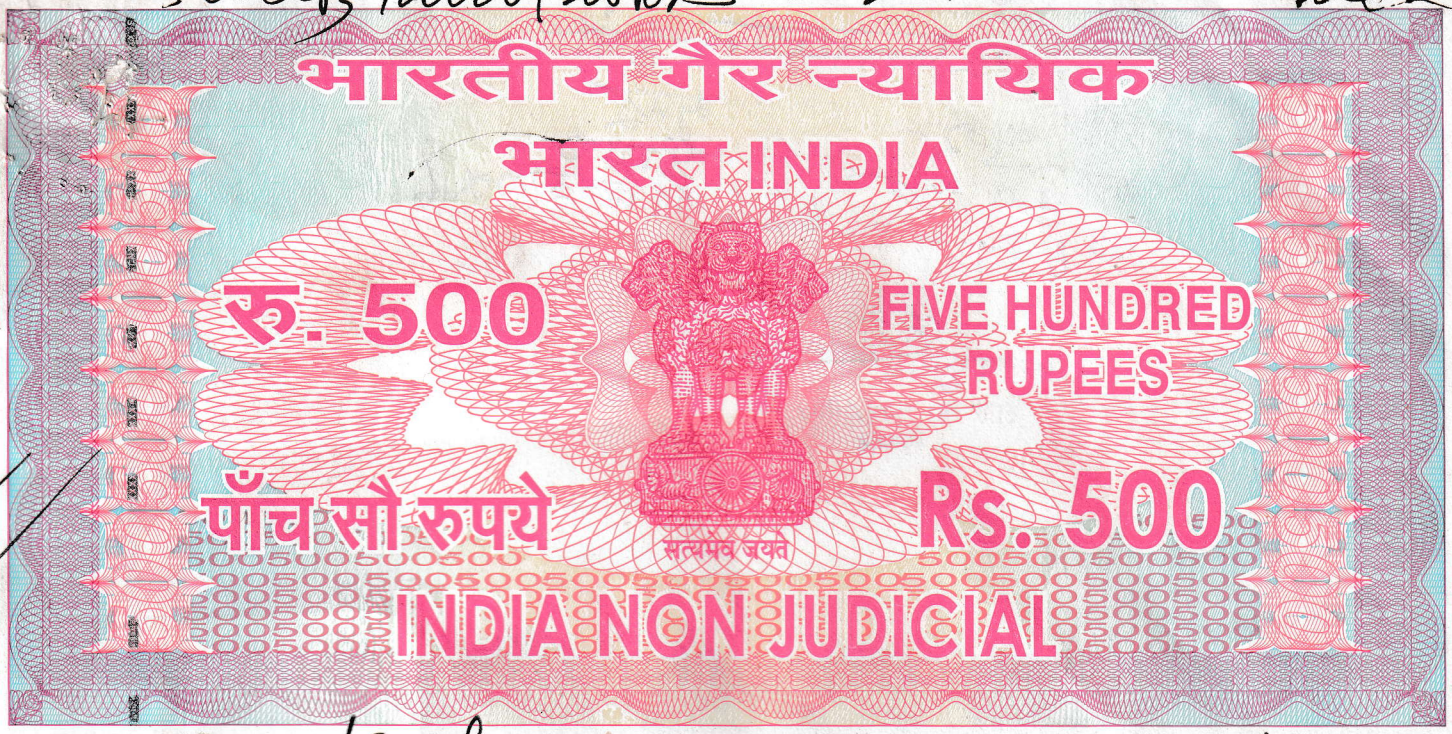

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND

B 767365

पुनरीक्षित न्यूनतम मूल्य मार्गदर्शिका पंजी में बाजार मूल्य से मिलान किया। न्यूनतम मूल्य से कम नहीं।

निबंधन ... भारतीय स्टाम्प अधिनियम (इंडियन स्टाम्प एक्ट) 1899 के अनुसूचि 1 सदे 1 के सं0..की अधीन ... स्टाम्प सहित (या स्टाम्प शुल्क से विमुख या स्टाम्प शुल्क अपेक्षित नहीं) ता0..............20....

Stamp Paid-
Area-
Anchal-
Rent-
Fees Paid-
Al-
LL-
P fees-

अवर निबंधन पदाधिकारी
रामगढ़

लेख्यकारीः– महेन्द्र महतो पिता स्व0 चरक महतो जाति कोयरी पेशा गृहस्ती साकिन मौजा दिगवार परगना जगेसर थाना माण्डू जिला रामगढ़ भारतीय नागरिक है। विक्रेता सी.एन.टी. एक्ट की धारा 46 (1) बी. की जाति सूची से बाहर है। आधार न0– 4735 4919 4548

लेख्यधारीः– भुपनारायण दुबे पिता जवाहर लाल दुबे जाति ब्राह्मण पेशा नौकरी साकिन मौजा डटमा मोड, कुजु परगना जगेसर थाना माण्डू जिला रामगढ़ भारतीय नागरिक है।
आधार न0– 6203 0120 0247

लेख्यप्रकारः– विक्रय–पत्र (Sale Deed) केवाला वैएला कलामी।

मूल्य मोवलगः– 1,00,000/– एक लाख रुपैया नगद।

नाम मालिकः– झारखण्ड सरकार अंचल माण्डू ।

सालाने मालगुजारीः– 02 पैसा।

जमीन दर्जाः– आवासीय। संरचना रहित।

विक्रय सम्पति प्रतिबंधित भूमि की सूची के अन्तर्गत नहीं है।

छो0 का0 अधि0 1908 की धारा 46 (I)(b) के अन्तर्गत विक्रेता नहीं है।

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये Rs. 500
सत्यमेव जयते
INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND B 626125

सम्पतिः- मवाजी 01½ डी0 (डेढ डीसमील) जमीन आवासीय हकियत रैयती कायमी वाके मौजा हथमारा परगना जगेसर थाना माण्डू थाना न0 148 अंदर खाता न0 89 (नवासी) डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्री रामगढ जिला रामगढ़ हसब प्लॉट रकवा चौहदी जैल तौजी न0 28 यह के उपरोक्त सम्पति जमीन रकवा 01 डी0 जमीन लेख्यकारी के खुद अपने नाम से बजरिये रजिस्ट्री केवाला नविस्ते माना महतो से हासिल पाया है। जिसका बुक न0 1 भोलूम न0 102 पेज न0 23 से 42 तक डीड न0 3235 दिनांक 18.11.2013 ई0 को निबंधन कार्यालय गोला से निबंधित है। जिसका सरकारी अंचल माण्डू से बराबर कटता चला आता है जिसका एक किता रसीद सं0 0276769739 जो अंचल कार्यालय के पंजी II भोलूम न0 5 के पेज न0 38 सन् 2017-18 ई0 को निर्गत है। वो रकवा ½ डी0 जमीन मन लेख्यकारी छरदादा शिवदयाल महतो वगैरह के नाम से सर्वे सेटलमेन्ट में खाता हाजा दर्ज पाया है। बाद वफात दादा वो पिता के फौत कर जाने के बाद लेख्यकारी उपरोक्त सम्पति जमीन पर घरेलू बंटवारा के मुताबिक शांतिपूर्वक कायम काबिज वो दखलकार चले आते है वो है। जिसका सरकारी अंचल माण्डू से बराबर कटता चला आता है जिसका एक किता रसीद सं0 JH/17A-063439 जो अंचल कार्यालय के पंजी II भोलूम न0 I के पेज न0 4 सन् 2015-16 ई0 को निर्गत है। वो लेख्यकारी आज के तारिख में उपरोक्त सम्पति जमीन लेख्यधारी के साथ बिक्री करते है। होल्डींग न0- 0040000404000A1

झारखण्ड JHARKHAND

B 767367

खाता न0:- 89 (नवासी)
प्लॉट न0:- 124 (एक सौ चौबीस) बिक्री रकवा 01½ डी0 (डेढ डीसमील) जिसका हाल चौहदी उ0- प्रकाश महतो द0- चमन महतो वगैरह पू0- नीज लेख्यकारी प0- गल्लु महतो वाके है। जमा खाता एक जमा प्लॉट एक जमा बिक्री रकवा 01½ डी0 वाके है।

विवरण:- चूँकि लेख्यकारी को इस वख्त रुपैया का सख्त जरुरी है वो देने महाजन के रुपैया का सख्त जरुरत है, बिना जमीन बिक्री किए रुपया का दूसरा सामान नजर नहीं आया। इसलिए लेख्यकारी ने अपने उपरोक्त सम्पति तयकर अपना कीमत मो0 1,00,000/- रुपैया लेख्यधारी से लेकर मवाजी 01½ डी0 (डेढ डीसमील) जमीन आज के तारीख में साथ लेख्यधारी को बिक्री किये दखल दे दिये अब चाहिए के लेख्यधारी हुये सम्पति पर दखलकार होकर वो रहकर जोत आबाद कर उसके माँ हासिल पैदावार को अपने वो अपने वारिशान के भोग वो तसरुफ में दर लाया करें। वो चाहे जिस साबील से अपना फायदा मुनासिब समझें वैसा किया करें चाहे मकान बनावें, कुंआं खुदावें, बाग बगीचा लगावें या बिक्री करें इसमें लेख्यकारी मय उनके वारीशान को आज तारीख से किसी प्रकार का हक हकुक दावी दखल नहीं रहा और ना आगे चलकर कभी होगा जिस प्रकार का हक हकुक दावी दखल जो

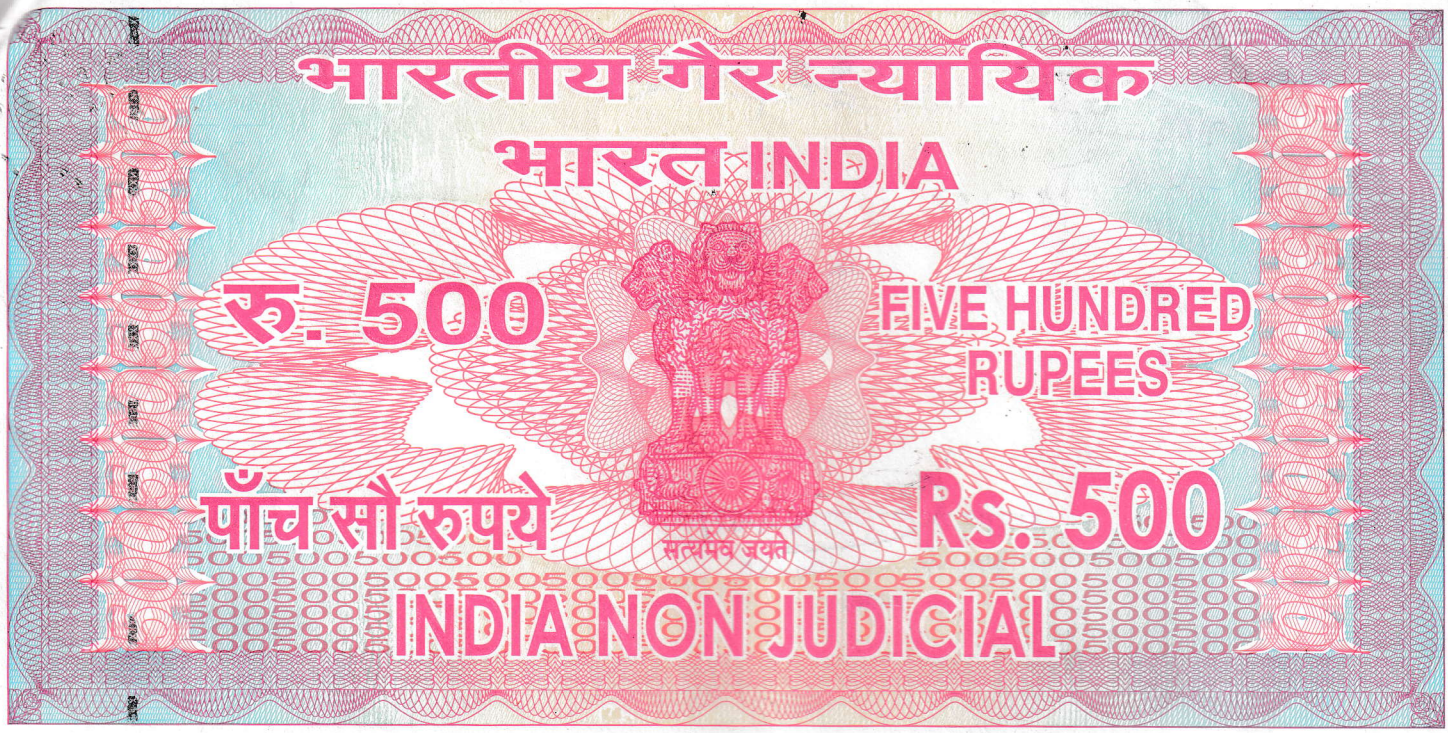

झारखण्ड JHARKHAND

B 767368

था वो आगे चलकर होता सब आज तारीख से लेख्यधारी मय उनके वारीशान को हुआ। वो लेख्यधारी को चाहिए कि अपना नाम अंचल कार्यालय में दर्ज कराकर वो अपने नाम से दाखिल खारीज करवाकर साल ब साल अपने नाम से सरकारी रसीद हासिल किया करें वो उपरोक्त सम्पति वारदेन से पाक वो साफ है अगर आगे चलकर किसी प्रकार का वारदेन पाया जाएगा तो उसका देनदार लेख्यकारी मय उनके वारीशान है वो होगें। उपरोक्त सम्पति जमीन का कुल मूल्य नगद तमाम वसूल पाये अब खरमोहरा बाकी जिम्में लेख्यधारी को नही रहा और ना दिगर हाजत कब्जुल वसूली रसीद की जरुरत नहीं रही। इसलिए लेख्यकारी ने अपने खुशी राजी से आज तारीख में एक दूसरे को वासीका हाजा लिख दिया कि समय पर काम आवें।
धारा 6,8,10,1 एवं 38 लागू नही है।

28/6/18

तारीखः 28 माह जून सन् 2018 ई0 मो0 रामगढ।

दस्तावेज प्रारूपकर्ता विजय कुमार
सा0 कंचनपूर लेख्यकारी को पढ़कर
सुना दिया वो समझा दिया खुद से
पढ़कर समझकर अपना हस्ताक्षर
बनाए -

विजय कुमार
28/6/18